

कार्यालय-मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

दिनांक:

2025

पत्रांक :

/वाद सं० सी-0272/एस-9/2024

श्री प्रवीण चन्द कुकरेती/भू-स्वामी,
बिधौली रोड निकट UPES बिधौली
देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल भूतल पर लगभग 20 गुणा 12 फिट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये टिन शैड दो दुकानों का निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये वादसं० वाद सं० सी-0272/एस-9/2024 योजित किया गया।

उपरोक्त वाद में दिनांक 03.05.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" प्रेषित किया गया जो कि आपके पते पर दिनांक 10.05.2024 को तामिल कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल भूतल पर लगभग 20 गुणा 12 फिट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये टिन शैड दो दुकानों का निर्माण कार्य किया गया है अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.05.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित रहे। इसके उपरान्त भी विपक्षी को सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियाँ नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा चालानशुदा निर्माण के संबंध में कोई स्वीकृति/शमन मानचित्र / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबुझकर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण में सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। आपके द्वारा किये गये चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

—आदेश—

अतः विपक्षी श्री प्रवीण चन्द कुकरेती/भू-स्वामी, बिधौली रोड निकट UPES बिधौली देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल भूतल पर लगभग 20 गुणा 12 फिट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये टिन शैड दो दुकानों का निर्माण किये किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 29/05/25 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

संयुक्त सचिव/पी० अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।